न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 54/13 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2013/00088

उनवान

पोखनसिंह पुत्र फत्तेसिंह जाति लोधा निवासी लोधे का नगला भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।
.....अपीलान्ट

बनाम

1. भगवान सिंह पुत्र रामसरन जाति नाई निवासी ग्राम नौंह तहसील व जिला भरतपुर (मृतक)
   1/1 जलदेई पत्नी भगवान सिंह (मृतक)
   1/2 राजवीर पुत्र भगवान सिंह
   1/3 मंजू पुत्री भगवान सिंह
   1/4 संजू पुत्री भगवान सिंह
   } जाति नाई निवासी ग्राम नौंह तहसील व जिला भरतपुर
   1/5 अंजू पुत्री भगवान सिंह पत्नी विष्णु जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. रामभरोसी पुत्र रामसरन जाति नाई निवासी ग्राम नौंह तहसील व जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोडेन्ट

3. लच्छो पुत्री फत्तेसिंह जाति लोधा निवासी बभरौली तहसील व जिला आगरा (उ.प्र.)
4. श्रीकृष्णा पुत्र किशनसिंह, जाति लोधा निवासी नगला लोधा तहसील व जिला भरतपुर।
5. जलसिंह पुत्र किशनसिंह, जाति लोधा निवासी नगला लोधा तहसील व जिला भरतपुर।
6. राजो पुत्री किशनसिंह जाति लोधा निवासी नगला लोधा तहसील व जिला भरतपुर।
7. कान्हा पुत्री किशन सिंह
8. राजो पुत्री किशन सिंह
9. नगीना पुत्री किशन सिंह

   } नाबालिगान जरिये माता नैमो पत्नी किशनसिंह, जाति लोधा निवासी नगला लोधा, तहसील व जिला भरतपुर

10. नैमो पत्नी किशनसिंह, जाति लोधा निवासी नगला लोधा, तहसील व जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 298/2008 बउनवानी भगवानसिंह बनाम किशनसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2011 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर, दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं . 1/2 से 1/5 व 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह सोलंकी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 07.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा मु.स. 298/2008 बउनवानी भगवानसिंह बनाम किशनसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2011, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया था कि विवादित साबिक आराजी ख.न. 1770/1–10 वाके ग्राम नौंह तहसील भरतपुर में स्थित है। विवादित आराजी ख.न. 1770/1–10 जिसका भू–प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नम्बर 1066/0.24 का बनाया है। वादीगण के चाचा रामजीलाल को आवंटन हुआ था जिसका रामजीलाल खातेदार काश्तकार था। रामजीलाल के वादीगण के अलावा अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण सन् 1985 में उनके नाम दाखिल खारिज तस्दीक हो गया था किन्तु विवादित आराजी भू–प्रबंध के दौरान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। इस कारण वादीगण द्वारा दावा पेश कर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व अभिलेख से कलमजन करके वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने तथा प्रतिवादीगण को पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2011 को दावा वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार उपमन एवं रेस्पोडेन्ट सं . 1/2 से 1/5 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र सिंह सोलंकी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड का सह प्रकार से अवलोकन किये बिना ही उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है। अदालत तहत ने इस तथ्य की ओर कोई गौर नहीं किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट असल सं. 1 व 2 द्वारा पेशकर्दा दस्तावेजातों में साबिक खसरा नम्बर 1770 मिन नम्बर है जिसका अर्थ है कि खसरा नम्बर 1770 का कोई और भाग शेष है लेकिन वादीगण ने इस तथ्य को छुपाकर यह दावा पेश किया है और प्रतिवादीगण की तलबी कब्जे बिना ही यह दावा डिक्री करवा लिया जो विधि विरुद्ध है। इस कारण निर्णय व डिक्री काबिल खारिजी के है। अपीलान्ट एवं तरतीवी रेस्पोडेन्ट सं. 3 व तरतीवी रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 10 के पिता किशनसिंह के पिता को भी खसरा नम्बर साबिक 1770 से ही आवंटन हुआ था और उसी आवंटन के आधार पर 1770 से बने हाल खसरा नम्बर पर अपीलांट खातेदार काश्तकार दर्ज हुआ है लेकिन वादीगण असल रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 व 2 ने इस तथ्यों को छुपाकर दावा डिक्री करवा लिया है इस कारण निर्णय व डिक्री काबिल खारिजी के है। वादीगण असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अपीलान्ट व अन्य की तामीलें भी विधिक तरीके से नहीं करायी गयी है बल्कि फर्जी तरीके से तामीले कराई गई है क्योंकि अगर प्रकरण की सूचना अपीलान्ट व अन्य को दी जाती तो वे अदालत मे अवश्य हाजिर होकर अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखते और न्यायालय मे अपना जबाब पेश कर आवश्यक दस्तावेजात पेश कर सही तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश करते लेकिन असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अपने दावा में अपीलान्ट की व अन्य की तामीलें करवाने में विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तथा कोई सूचना अपीलान्ट व अन्य को नहीं दी गई है। इस कारण प्रतिवादीगण अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट को सुने बिना ही उक्त निर्णय व डिक्री पारित किये गये हैं जो विधि विरुद्ध है इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट सं. 4 लगायत 10 के पिता किशनसिंह की ओर से एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वकालतनामा भी अदालत तहत की पत्रावली में पेश किया हुआ है जिसमे अधिवक्ता प्रतापसिंह एडवोकेट है लेकिन अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट द्वारा व अन्य के द्वारा अभी भी प्रताप सिंह अधिवक्ता को इस मुकदमें मे अपना विधिक सलाहकार नियुक्त नहीं किया गया और न ही इनके द्वारा ही कोई सूचना अपीलान्टस व अन्य को दी गई है। इस कारण भी निर्णय व डिक्री काबिल खारिजी के है। असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के दावा में प्रतिवादी सं. 1 किशनसिंह को बनाया गया है तथा किशनसिंह को ही पक्षकार मुकदमा के रुप में यह दावा वादीगण डिक्री हुआ है जबकि प्रतिवादी सं. 1 किशनसिंह का स्वर्गवास उक्त निर्णय व डिक्री होने से पूर्व ही हो चुका था और मृतक के विरुद्ध निर्णय व डिक्री नलिटी होती है लेकिन वादीगण असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने इस तथ्य को छुपाकर दावा अपने हक में डिक्री करवा लिया जबकि दावा वादीगण इसी आधार पर काबिल खारिजी के है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि अपीलान्ट को अभी तक इस निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2011 की कोई जानकारी नहीं थी लेकिन दिनांक 27.05.2013 को हाल जमाबन्दी लेने पर यह जानकारी हुई कि खसरा नम्बर हाल 1066 पर अपीलान्ट की खातेदारी अदालत के आदेश से समाप्त कर दी गई है इस पर अपीलान्ट्स द्वारा निर्णय व डिक्री की नकल अदालत से प्राप्त की, तब जाकर अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। इस कारण होने जानकारी व मिलने नकल से अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को माफ करते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि शुमार फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर निरस्त फरमाई जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1770/1–10 मिन वाके ग्राम नौंह तहसील व जिला भरतपुर वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के चाचा रामजीलाल को आंवटित हुआ था। रामजीलाल के वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के अलावा अन्य कोई उत्तराधिकारी नही था। इस कारण उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई है तथा विरासत का दाखिला खारिज वादीगण के हक में सन् 1985 में तस्दीक हो चुका है तथा वादीगण मौके पर काबिज काश्त कर रहे हैं। बन्दोवस्त विभाग ने साबिक आराजी ख.न. 1770/1–10 मिन का हाल खसरा नम्बर 1066 रकवा 24 एयर बनाया था। राजस्व रिकार्ड में हो रहे मौजूदा इन्द्राज गलत व खिलाफ कानून एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हुए गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण वादीगण के टाईटिल को डिनाई करते थे इसलिए वादीगण को उक्त आराजी के सम्बन्ध में अपने अधिकारों की घोषणा कराना आवश्यक था। इसी कारण प्रतिवादीगण/अपीलान्ट गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स को आराजी मुतदाविया से बेदखल करने की धमकी देते थे। इसी कारण वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया था। उक्त दावा वादीगण स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.02.2011 को डिक्री कर दिया। जो विधिसम्मत रुप से सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में 2017 (3) S.B. Civil Rev. No. 140 of 2016] 2054, 2016(2) RRT 235 न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2011 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 07.06.2013 को पेश की गई है, जो मियाद बाहर है।

8. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण ने न तो कोई जबाब पेश किया है एवं न ही काउन्टर शपथ–पत्र पेश किया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित है। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण असल रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर अभिवचन किया कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 1770 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा ग्राम नौंह वादीगण के चाचा रामजीलाल को एलोट हुआ था। रामजीलाल के वादीगण के अलावा अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं था इस कारण उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई है। विरासत का दाखला खारिज वादीगण के हक में सन् 1985 में तस्दीक हो चुका है तथा वादीगण मौके पर काबिज काश्त कर रहे हैं। बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों से प्रतिवादीगण ने साज करके विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम गलत तरीके से अंकन करा लिया है। बन्दोबस्त विभाग ने साबिक खसरा नम्बर 1770 मिन रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा का हाल नम्बर 1066 रकबा 24 एयर बनाया है। राजस्व रिकार्ड में हो रहे मौजूदा इन्द्राज गलत व खिलाफ कानून व अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हुए गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण वादीगण के टाइटिल को मना करते हैं, इसलिए उक्त आराजी के सम्बन्ध में अपने अधिकारों की घोषणा कराना आवश्यक हो गया है। अनुतोष में वादीगण ने यह मांगा है कि वादीगण को आराजी खसरा नम्बर साबिक 1770 मिन रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा से बने आराजी खसरा नम्बर 1066 रकबा 24 एयर वाके ग्राम नौंह का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में हो रहे प्रतिवादीगण के नाम के इन्द्राज को कलमजन कर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की उक्त आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न करें तथा वादीगण को जबरदस्ती बेदखली न करें।

अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र 10.08.2007 को पेश किए जाने पर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किए जाने के आदेश प्रदत्त किए तथा आदेशिका में 10.08.2007 को वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। उसी दिन 10.08.2007 को ही प्रतिवादी सं. 1 व 2 की तरफ से

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

श्री प्रताप सिंह एड. ने वकालतनामा पेश किया एवं पत्रावली प्रतिवादी सं. 3 व 4 की तलबी की जावे का अंकन किया गया। तारीख पेशी दिनांक 14.11.2007 को प्रतिवादी सं. 4 द्वारा जबाब पेश नहीं करना चाहने से उनका जबाब बन्द किया गया एवं प्रतिवादी सं. 3 की तलबी रजि. एडी से करवाई जाने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा जबाब पेश नहीं करने पर उनका जबाब दिनांक 28.07.2009 को बन्द किया जाकर पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गयी। वादी भगवान सिंह का मौखिक साक्ष्य के रुप में दिनांक 28.01.2010 को शपथ–पत्र पेश किया गया। तारीख पेशी दिनांक 03.06.2010 को वादी पी.डब्लू–1 उपस्थित रहा लेकिन जिरह NIL रही। तारीख पेशी दिनांक 05.08.2010 को प्रतिवादीगण के अभिभाषक एवं स्वयं उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रकरण दावा में दिनांक 22.02.2011 को बहस सुनकर 28.02.2011 को जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित किये गए जिसमें दावा स्वीकार किया गया।

हस्तगत अपील पोखन सिंह प्रतिवादी सं. 2 द्वारा पेश की गयी है। जिसमें मुख्य आधार निम्न प्रकार लिए गए है :–

वादीगण रेस्पोडेन्ट असल सं. 1 व 2 द्वारा पेशकर्दा दस्तावेजातों में साबिक खसरा नम्बर 1770 मिन नम्बर है जिसका अर्थ है कि खसरा नम्बर 1770 का कोई और भाग शेष है लेकिन वादीगण ने इस तथ्य को छुपाकर यह दावा पेश किया है और प्रतिवादीगण की तलबी कब्जे बिना ही यह दावा डिक्री करवा लिया जो विधि विरुद्ध है। अपीलान्ट एवं तरतीवी रेस्पोडेन्ट सं. 3 व तरतीवी रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 10 के पिता किशनसिंह के पिता को भी खसरा नम्बर साबिक 1770 से ही आवंटन हुआ था और उसी आवंटन के आधार पर 1770 से बने हाल खसरा नम्बर पर अपीलांट खातेदार काश्तकार दर्ज हुआ है लेकिन वादीगण असल रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 व 2 ने इस तथ्यों को छुपाकर दावा डिक्री करवा लिया है। वादीगण असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अपीलान्ट व अन्य की तामीलें भी विधिक तरीके से नहीं करायी गयी है बल्कि फर्जी तरीके से तामीले कराई गई है क्योंकि अगर प्रकरण की सूचना अपीलान्ट व अन्य को दी जाती तो वे अदालत मे हाजिर होकर अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखते और न्यायालय मे अपना जबाब पेश कर आवश्यक दस्तावेजात पेश कर सही तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश करते लेकिन असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अपने दावा में अपीलान्ट की व अन्य की तामीलें करवाने में विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तथा कोई सूचना अपीलान्ट व अन्य को नहीं दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट सं. 4 लगायत 10 के पिता किशनसिंह की ओर से एक वकालतनामा भी अदालत तहत की पत्रावली में पेश किया हुआ है जिसमे अधिवक्ता प्रतापसिंह एडवोकेट है लेकिन अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट द्वारा व अन्य के द्वारा अभी भी प्रताप सिंह अधिवक्ता को इस मुकदमें मे अपना विधिक सलाहकार नियुक्त नहीं किया गया और न ही इनके द्वारा ही कोई सूचना अपीलान्टस व अन्य को दी गई है। असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के दावा में प्रतिवादी सं. 1 किशनसिंह को बनाया गया है तथा किशनसिंह को ही पक्षकार मुकदमा के रुप में यह दावा वादीगण डिक्री हुआ है जबकि प्रतिवादी सं. 1 किशनसिंह का स्वर्गवास उक्त निर्णय व डिक्री होने से पूर्व ही हो चुका था और मृतक के विरुद्ध निर्णय व डिक्री नलिटी होती है लेकिन वादीगण असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने इस तथ्य को छुपाकर दावा अपने हक में डिक्री करवा लिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अध्ययन से यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय दिनांक 25.02.2011 में वादीगण का दावा स्वीकार करने के संबंध में बिन्दु सं. 3 में निम्न प्रकार विवेचन किया है :–

"वादीगण के योग्य अभिभाषक की इकतरफा बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत 2030 लगायत 2033 प्रदर्श 1, नकल दाखिला खारिज संख्या 876 वाके ग्राम नौंह प्रदर्श 2, नकल दाखिल खारिज सं. 9 दिनांक 05.02.1985 प्रदर्श 3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4, हाल जमाबंदी प्रदर्श 5 व जमाबंदी संवत 2033 से 2036 पेश की हैं। तथा वादी भगवानसिंह पीडब्लू–1 ने अपने साक्ष्य कराए हैं। जिनके अवलोकन से वादीगण का दावा बखूबी काबिले डिक्री सिद्ध होता है।

दावा वादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 1066 रकबा 0.24 हैक्टेयर वाके ग्राम नौंह तहसील भरतपुर पर वादीगण को बा हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान में हो रहे इन्द्राज राजस्व रिकार्ड बनाम प्रतिवादीगण कलमजन किये जाने हैं।"

इस प्रकार वादीगण का दावा स्वीकार करने के उपर्युक्त आदेश से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करने का एक भी कारण अंकित नहीं किया है जो आश्चर्यजनक एवं खेदजनक है। दावे को स्वीकार करने का कोई कारण अंकित किए बिना ही किसी पक्ष के विरुद्ध न्यायिक आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी का यह दायित्व था कि वे दावा स्वीकार करने के कारणों का उल्लेख करके ही दावा स्वीकार कर प्रतिवादीगण की खातेदारी समाप्त करते। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी सं. 1 किशन सिंह की मृत्यु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2011 पारित करने से पूर्व ही हो गयी थी क्योंकि अपील पत्रावली में उसका मृत्यु प्रमाण–पत्र पेश किया गया है जिसमें किशन सिंह की मृत्यु दिनांक 21.05.2008 को होनी अंकित है जिससे भी उक्त निर्णय एवं डिक्री मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित किए गए हैं जो शून्य है। इस प्रकार उपर्युक्त परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2011 अस्पष्ट, तर्कविहिन एवं नॉन–स्पीकिंग निर्णय होने एवं मृत व्यक्ति के विरुद्ध होने से कानूनी रुप से त्रुटिपूर्ण हैं एवं हस्तक्षेप योग्य है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2011 को अपास्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रकरण में विधिवत रुप से उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, साक्ष्य सबूत लेकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय व डिक्री पारित करें।
11. निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
12. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
13. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर